

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/960/2016- राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिन्नु राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- तेनुघाट बाँध प्रमण्डल अंतर्गत तेनुघाट बाँध के सुरक्षाकर्मियों का वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 28.62 लाख (रुपये अठाईस लाख बासठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. तेनुघाट बाँध प्रमण्डल अंतर्गत तेनुघाट बाँध के सुरक्षाकर्मियों का वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 28.62 लाख (रुपये अठाईस लाख बासठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. यह कार्य वर्ष 2017-18 में पूर्ण कर लिया जायेगा।
4. इस कार्य पर होने वाला व्यय :-
मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट होंगे तथा अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बाँध अंचल, तेनुघाट एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
6. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
7. इस कार्य के लिए वर्ष 2017-18 के बजट में उपबंध है।
8. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।
9. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
11. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/960/2016- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/960/2016- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, तेनुघाट, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/960/2016- राँची, दिनांक 30.10.2017

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/2017
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)